न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–132 / 2026
अथमलगोला थाना कांड संख्या–438 / 2025
अंतर्गत धारा–25(1-B)a, 26, 35 आर्म्स एक्ट

17.03.2026 काराधीन अभियुक्त–1. राम पदारथ राय की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत दिनांक–06.03.2026 को नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया है जोकि धारा–25(1-B)a, 26, 35 आर्म्स एक्ट से संबंधित अथमलगोला थाना कांड संख्या–438 / 2025, दिनांक–01.12.2025 के नामित अभियुक्त हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कनक वर्मा तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक के विरूद्ध इस कांड के अलावा अन्य छः मामले लंबित है, इनमें से कुछ हत्या के प्रयास एवं शस्त्र अधिनियम से संबंधित है। आवेदक दिनांक–02.12.2025 से काराधीन हैं। आवेदक निर्दोष हैं, इन्हें गलत इस केस में फंसाया गया है। आगे इनका यह भी कहना है कि जो जप्ती–सूचि पुलिस द्वारा बनाई गई है, न तो उस पर आवेदक का हस्ताक्षर है और न ही अंगूठे का निशान है, इससे प्रतीत होता है कि गलत जप्ती–सूचि बनाई गई है। भरोसी राय और उदय राय के बीच भूमि–विवाद है, उससे इस वाद का कोई लेना–देना नहीं है। पुलिस के द्वारा इनका स्वीकारोक्ति ब्यान दर्ज किया गया है जोकि गलत मंशा से लिया गया है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन घटना संक्षेप में यह है कि इस कांड के सूचक–मणिकांत जोकि वर्तमान में स0अ0नि0 के पद पर अथमलगोला थाना में पदस्थापित हैं इनका कहना है कि इन्हें दिनांक–01.12.2025 को समय करीब 13.00 बजे गुप्त सूचना मिली कि पुराने जमीनी विवाद को लेकर ग्राम–गंजपर के भरोसी राय और उदय राय के बीच वर्चस्व कायम करने के लिए गंजपर के उत्तर–राम नगर दियारा क्षेत्र में अवैध हथियार बाहर से लाकर रखे हुए हैं जिससे दोनों पक्षों के बीच लड़ाई में कभी–भी किसी बड़े घटना को अंजाम दिया जा सकता हैं इस सूचना के आधार पर दिनांक–01.12.2025 को सूचक स0अ0नि0–बंटी कुमार, थाना रिजर्व गार्ड के सशस्त्र बल के सिपाही–मो0 अब्बास, महिला सिपाही–पूजा कुमारी, गृह रक्षक–अरूण कुमार, विरेन्द्र कुमार तथा चौकीदार–सुनील कुमार के साथ 01.40 मिनट पर वहां पहुंचे और वहां ग्राम–गंजपर के उत्तर–दक्षिण स्थित राम नगर दियारा क्षेत्र में एक कुश के बने झोपड़ी में चार व्यक्ति उपस्थित थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे। उन सभी लोगों को पकड़ा गया। उन लोगों ने अपना–अपना

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–132 / 2026
अथमलगोला थाना कांड संख्या–438 / 2025
अंतर्गत धारा–25(1-B)a, 26, 35 आर्म्स एक्ट

लगातार

17.03.2026

नाम क्रमशः राम पदारथ राय, संजीव कुमार, राम करन कुमार एवं ओम प्रकाश कुमार बताया। उक्त झोपड़ी की तलाशी के क्रम में झोपड़ी के पश्चिम किनारे पर काश से ढ़का हुआ एक देशी रायफल मिला तथा उसके मध्य भाग में एक उजले रंग का झोला में रखा कुछ समान मिला, दो पीस देशी कट्टा तथा प्लास्टिक के थैली में से पीतल का बना हुआ दस पीस कारतूस बरामद किया गया। इस प्रकार कुल दो देशी कट्टा, एक रायफल तथा दस गोली बरामद किया गया जिसकी जप्ती–सूचि तैयार की गई।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि वादी ने अपने पुनः, ब्यान में घटना का समर्थन किया है। इसी प्रकार कंडिका–5 में साक्षी–बंटी कुमार, कंडिका–6 में साक्षी–पूजा कुमारी, कंडिका–7 में साक्षी–मो0 अब्बास, कंडिका–8 में साक्षी–विरेन्द्र कुमार एवं कंडिका–9 में साक्षी–सुनील कुमार ने घटना का समर्थन किया है और बताया है कि तलाशी के क्रम में एक रायफल, दो देशी कट्टा एवं दस गोली बरामद हुआ है। कंडिका–10 में आवेदक का स्वीकारोक्ति ब्यान है जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उदय राय से चार–पांच वर्षों से जमीनी–विवाद चल रहा है, उसी जमीन पर वर्चस्व कायम करने के लिए वह भरोसी राय, राज कुमार उर्फ कुमर राय, संजीव कुमार, राम करन कुमार, ओम प्रकाश कुमार, मुनट राय सभी लोग मिलकर बाहर से हथियार एवं गोली मंगाकर अपने खेत में बने काश की झोपड़ी में रखे हुए थे। कांड दैनिकी के कंडिका–52 के अनुसार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी इनके विरूद्ध मामले दर्ज हैं। कांड दैनिकी के साथ जप्त शस्त्र एवं गोली का जांच–प्रतिवेदन संलग्न है जिसमें नौ जिंदा गोली को कारगर पाया गया है तथा एक मिसफायर गोली था। जिंदा गोली तथा कट्टा एवं रायफल को कारगर तथा मानव–जीवन हेतु घातक बताया गया है। अभियुक्त को घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया गया है और अवैध हथियार एवं गोली उनके समक्ष से ही बरामद हुआ है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराधिक इतिहास को देखते हुए काराधीन अभियुक्त–1. राम पदारथ राय को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़